राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

दमा संख्या :– 86/2021 प्रा०फ०

1. मोहन पुत्र नाथु आगरीया नि० दहीमथा - तह० करेड़ा

प्रार्थी........

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र भैरु सिंह राजपूत नि० दहीमथा - तह० करेड़ा - व अ०

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 6/7/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त तों की खाता संख्या 360 आराजी नम्बर 1235/1 0.1265 / 1237/1 0.3035 / .... कुल किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टर टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25/3/2021 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी ाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी े का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 1235/1 0.1265 / 1237/1 0.3035 / .... कुल किता 2 रकबा .4300 हैक्टर हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक करेड़ा को 450/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया ता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर ... होने पर पक्षकारान की जूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते ... बिन्दु को आधार मानकर थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर प...

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:25:17 IST
Reason: SelfAttested

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा